उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653

रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
फोनः 0522–2287037
रैक्स नं0 : 0522–2287701 वि.नं.–4653

संख्या– 2869/का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/23–20(51)/2006 (वा0–।।।) दिनांकः 21/11/2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की निदेशक मण्डल की दिनांक 25.09.2023 को सम्पन्न हुई 135वीं बैठक के बिन्दु संख्या–06 में लिए गये निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निम्न आदेशों को उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों के प्रयोजनार्थ अंगीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1– कार्यालय ज्ञाप संख्या 1226–पे0एवंआर0–28/पाकालि/23–07–पें0एवंआर0/2023 दिनांक 20.07.2023,
2– कार्यालय ज्ञाप संख्या 1228–पें0 एवं आर0–28/पाकालि /23–06–पे0एवं आर0/23 दिनांक 21.07.2023,
3– कार्यालय ज्ञाप संख्या 1232–पें0 एवं0 आर0–28/पाकालि/23–60–पी–98 टी0सी0–2023 दिनांक 21.07.2023,
4– कार्यालय ज्ञाप संख्या 1234–पे0एवं आर0–28/पाकालि/23–60–पी–98 टी0सी0–2023 दिनांक 21.07.2023,
5– कार्यालय ज्ञाप संख्या 1237–पें0एवं आर0–28/पाकालि/23–07–पें0एवंआर0/2020 दिनांक 21.07.2023
6– कार्यालय ज्ञाप संख्या 1238–पें0एवं आर0–28/पाकालि/23–07–पें0एवंआर0/2020 दिनांक 21.07.2021

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 2869 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि/23–20(51)/2006 (वा0–।।।) तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2– निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
3– मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0)/(एम0पी0एस0), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4– उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5– अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
6– अधीक्षण अभियन्ता (जा0), जानपद निर्माण मण्डल, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 3300/सी0एस0/2023 दिनांक 20.11.2023 के सन्दर्भ मे।
8– अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी/ओबरा/माताटीला/खारा/मुजफ्फरनगर।
9– अधिशासी अभियन्ता, जानपद निर्माण खण्ड, खारा/रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, पिपरी।
10– अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वह आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
11– लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
12– कट फाइल।

(ललित कुमार वार्ष्णेय)
उप सचिव (का0 एवं प्रशा0)

974 Ram Nath OM 2022 from may

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1226–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23–07–पें0एवंआर0 / 2023, दिनांक : 20 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, के शासनादेश संख्या : 2 / 2023 / जी–2–256(1) / दस–2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 जिसके द्वारा सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रूपये 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्राविधान / व्यवस्था निर्गत किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1226–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(43) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

20/07/23

(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2023

विषयः- सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रू0 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उप महालेखाकार/फण्ड कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाते हुए कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9D(2)(c)(i) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की सीमा अधिकतम रू0 05 लाख निर्धारित कर दी गयी है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश की जानकारी चाही गयी है, क्योंकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम कार्यालय द्वारा अपने जी0पी0एफ0 एप्लीकेशन/डेटाबेस में संशोधन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

2- आयकर नियमावली, 1962 के उपर्युक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम रू0 05 लाख निर्धारित कर दी जाय।

3- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0-टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, लखनऊ
UTTAR PRADESH POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1228–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23–06–पें0एवंआर0/23, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या : 1877/79–रिट –1–2020–2(क)20–2020 दिनांक 21.10.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 जिसे वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 1/2021/सा–3–116/दस–2020–933/89, दिनांक 01 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1228–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(14) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-1/2021/सा-3-116/दस-2020-933/89

प्रेषक,

एस0 राधा चैहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2021

विषय: पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 ।

महोदय,

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा को परिभाषित करते हुये विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1877/79-रिट-1-2020-2(क)20-2020 दिनांक 21-10-2020 द्वारा 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020' प्रख्यापित किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

2- उपरोक्त अध्यादेश की धारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि अर्हकारी सेवा का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के अनुसार किसी अस्थाई या स्थाई पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गयी सेवाओं से है। धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी उ0प्र0 रिटायरमेण्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उप नियम (8) के संबंध में और उसके अधीन की गयी कार्यवाही उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत दिनांक 01-04-1961 से विधिमान्यकृत समझी जायेगी। अध्यादेश के उपबंध दिनांक 01 अप्रैल, 1961 से प्रभावी किये गये हैं ।

3- पूर्ववर्ती वर्षों में कतिपय विभागों में एक बड़ी संख्या में तदर्थ, कार्य प्रभारित एवं सीजनल आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुयी है। ऐसे कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा विधिवत विनियमित कर दिये जाने की तिथि से उनकी नियमित सेवा प्रारम्भ होती है एवं तद्नुसार अर्हकारी सेवा का आगणन विनियमितीकरण की तिथि से करते हुये सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जाते है। पिछले कुछ समय से ऐसे संबंधित कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालयों में इस आशय के वाद योजित किये जा रहे हैं कि विनियमितीकरण के पूर्व की उनकी तदर्थ/कार्य प्रभारित/सीजनल सेवाओं को जोड़ते हुये सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जायें। अतः, यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसे समस्त वादों में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों में उपरोक्त अध्यादेश की व्यवस्था मा0 न्यायालयों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जाये ।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सभी विधिक वादों में 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020' को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवाद किये जाने हेतु प्रमुख आधार बनाया जाय। ऐसे प्रकरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र बिना उक्त अध्यादेश का उल्लेख किये दाखिल कर दिये गये हैं, उनमें उक्त अध्यादेश की व्यवस्था का उल्लेख करते हुये पूरक प्रतिशपथ पत्र तत्काल दाखिल किये जायें। ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में उक्त अध्यादेश की व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, और माननीय न्यायालयों द्वारा राज्य सरकार के नियमों में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये हैं, उनमें यथास्थिति पुनर्विचार याचिका, विशेष अपील, विशेष अनुज्ञा याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करायी जाये।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(एस0 राधा चैहान)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-सा-1/2021/सा-3-116(1)/दस-2020-933/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
4- समस्त एडवोकेट ऑन रिकार्ड, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव, वित्त।

क्रम-संख्या–206

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020

आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1877 / 79-वि-1–2020-2(क)20-2020

लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020) जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा

2—किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 'अर्हकारी सेवा' का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गई सेवाओं से है।

विधिमान्यकरण

3—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उपनियम (8) के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव

4—अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अध्यादेश से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1877(2)/LXXIX-V-1–2020-2(ka)20-2020

Dated Lucknow, October 21, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pension Hetu Aharkari Sewa Tatha Vidhimanyakaran Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 19 of 2020) promulgated by the Governor. The Vitta (Samanya) Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH QUALIFYING SERVICE FOR PENSION AND VALIDATION ORDINANCE, 2020

(U. P. Ordinance no. 19 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for qualifying service for pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the State legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) it shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.

Qualifying Service for Pension

2. Notwithstanding anything contained in any rule, regulation or Government order for the purposes of entitlement of pension to an officer, "Qualifying Service" means the services rendered by an officer appointed on a temporary or permanent post in accordance with the provisions of the service rules prescribed by the Government for the post.

Validation

3. Notwithstanding any Judgement, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done and may action taken or purporting to have been taken under or in relation to sub-rule (8) of rule 3 of the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules, 1961 before the commencement of this Ordinance, shall be deemed to be and always to have been done or taken under the provisions of this Ordinance and to be and always to have been valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times with effect from April 1, 1961.

Overriding effect

4. Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force other than this Ordinance.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 314 राजपत्र–2020–(762)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 165 सा० विधायी–2020–(763)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

341 RPH 2020 (Pension and Validation) (Adhyadesh) Data 4s

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1232-पें0एवंआर0-28/पाकालि/23-60-पी-98 टीसी-2023, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 06/2022/आई/154233/2022/फा0नं0-10-19099/141/2021-22, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो उ0प्र0शासन के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या : 6-सा-3-227/दस-2014-308/97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 की अनुसारिता में जारी किया गया है, द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/व्यवस्था को निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1232-पें0एवंआर0-28/पाकालि/23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांन्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-।/स्तर-।।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या-192(24) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
श. अहमद
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या- 06/2022/आई/154233/2022/फा0नं0-10-19099/141/2021-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03 दिसम्बर,2012, शासनादेश संख्या-1/सा-3-482/दस-2014-308/97, दिनांक 20 मई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97,दिनांक 01 जुलाई, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त आदेशों में से शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-5 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3- तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/13/09-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 19 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-6 में यह स्पष्टीकरण/व्यवस्था दी गयी है कि "ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दावाकर्ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 19 जुलाई, 2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 में दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण/व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दावाकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1234–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23–60–पी–98 टीसी–2023, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 3/2016/सा–3–03/दस–2016–19/92 टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 17/2022/आई/202175/2022/फा0नं0–10–22099/218/2020, दिनांक 17 अगस्त 2022 जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण के सम्बन्ध में दो पारिवारिक पेंशनों की देय अधिकतम दर/धनराशि की सीमा को पूर्व शासनादेशों के अनुक्रम में संशोधित कर तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से यथावत्/सम्पूर्णता में इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.01.2016 तथा शासनादेश दिनांक 17.08.2022 से आच्छादित प्रकरणों में आदेश निर्गमन की तिथि के पूर्व अवधि का कोई ऐरियर देय नहीं होगा, अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1234–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(51) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 13 जनवरी, 2016

विषय-: नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-296/दस-93-19/92, दिनॉक 12 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन देय होगी किन्तु जहॉ दोनों पारिवारिक पेंशनें बढ़ी हुयी दर पर स्वीकृत की गयी है वहॉ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह, जहॉ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य हो तो भी उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह तथा जहॉ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर अनुमन्य हो, वहॉ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 1250/- प्रतिमाह होगी।

2- दिनॉक 01-01-2006 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अत: दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि निम्न प्रकार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये है:-

(1)- यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा।

(2)- जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा ।

(3)- जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो वहाँ उनका योग रू0 9,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगी।

3- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे जिन्हें सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुई हो।

4- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थी परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्घाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

5- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/2016/सा-3-03(1)/दस-2016-19/92 टी0सी0, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा

संख्या-17/2022 /आई/202175/2022/फा0नं0-10-22099/218/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 में दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार से संशोधित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं:-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 9000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अत: दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि की सीमा को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं :-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हों, तो उनका योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

2/-

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 67,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 30 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

4- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे, जिनको सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं, चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुयी हो।

5- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थीं परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्धाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

6- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु पृथक से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1237–पें०एवंआर०–28/पाकालि/23–07–पें०एवंआर०/2020, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 10/2022/आई/178180/2022/फा०नं०–10–19099/32/2022–22 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये है, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1237–पें०एवंआर०–28/पाकालि/23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(22) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-10/2022 /आई/178180/2022/फा0नं0-10-19099/32/2022-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के सम्वन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1155/दस-2/81, दिनांक 06 अगस्त,1981, शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81टी0सी0, दिनांक 12 नवम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 निर्गत किये गये हैं।

2- उपरोक्त शासनादेशों में मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में आय के मानदण्ड का उल्लेख नहीं है।

3- सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/17/2019-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 08 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-3, 4 एवं 6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-

"3- उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर, जीनवपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता है, यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

4- तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसा बच्चा/सहोदर, जो मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि वह अन्यों के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से निःशक्त बच्चे की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य कुटुंब पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

6- ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे/सहोदर को वर्तमान में कुटुंब पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के समय कुटुंब पेंशन करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/ पेशनभोगी/ पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08 फरवरी, 2021 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसी संतान अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता/करती है, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय पारिवारिक पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसी संतान, जो मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगा/होगी, यदि वह अन्यों के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता/करती है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से निःशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी संतान को वर्तमान में पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसी संतान को

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/पेशनभोगी/पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

5- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थाएं/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14, अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1238–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23–07–पें0एवंआर0 / 2020, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 33 / 2016–सा–3–784 / दस–2016 / 308 / 97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक / शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेशंन अनुमन्य किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी व्यवस्था / प्राविधान निर्गत किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1238–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(23) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2016

विषय :- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की विकलांग संतान को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81 (टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहित पुत्र/पुत्री को अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विकलांग पुत्री के विवाहोपरान्त उसकी पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/33/2012-पी0एण्ड पी0डब्लू0(ई0) दिनांक 16.01.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि विकलांग संतान को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3- इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

4- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-33/2016-सा-3-784(1)/दस-2016/308/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।